कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax-2767611**

पत्रांकः–2369 **FP/UK/ROAD/20710/2016** दिनॉकःदेहरादून 19 मार्च, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद– देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No-FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/120/2018/एफसी/2902 दिनांक 13.03.2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS पत्र दिनांक 13–03–2020** के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि यदि मानचित्र में अंकित बिन्दु संख्या 25 तक उक्त मार्ग का निर्माण किया जाता है तो वर्तमान में बिन्दु संख्या 25 के बाद जिन ग्रामवासियों के घर है, उन्हे इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा। वर्तमान में लगभग 20 परिवार बिन्दु संख्या 25 के बाद निवास करते है जिनकी आबादी लगभग 150 है, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चों की आबादी ज्यादा है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के इन बच्चों को पुरकुल गांव ही जाना पडता है।
2. प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों का मुख्य आय एवं जीविका का साधन कृषि एवं दुग्ध उत्पादन है, जिनको बेचने के लिए राजधानी क्षेत्र देहरादून में मोटर साईकल/खच्चर आदि द्वारा सप्लाई/आपूर्ति करते है। वर्षा ऋतु में कच्चे मार्ग बन्द हो जाने के कारण उन्हे काफी कठिनाईयों का समना करना पडता है यदि वह किमाडी–देहरादून मार्ग से राजधानी क्षेत्र में सप्लाई करने पर दूरी अधिक होने के कारण उन पर वित्तीय प्रभाव पडता है। यदि प्रस्तावित मार्ग का निर्माण हो जाता है तो भितरली, किमाडी आदि क्षेत्र से राजधानी क्षेत्र देहरादून की दूरी लगभग 15 किमी0 कम हो जाएगी एवं जिससे समय की भी बचत होगी।
3. यह भी अवगत कराया गया है कि पुरकुल ग्राम एवं राजधानी क्षेत्र में उच्च शिक्षा, मेडिकल सुविधा, दूध एवं सब्जियों के उत्पादन के विक्रय हेतु अधिक अवसर होने के कारण भितरली ग्रामवासियों तथा इस क्षेत्र से लगे अन्य ग्राम वासियों के लिए भी यह मार्ग सुगम रहेगा। मोटर मार्ग के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जो कि राज्य के लिए एक विकट समस्या है। जिसे की वर्ष 2011 की

जनगणना में देखी जा सकती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 459 है जो कि वर्ष 2001 की जनसंख्या 476 से कम हो गयी है।

4. प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अगवत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 1 से 11 तक प्रस्तावित सडक के समरेखण का पुनः भू–गर्भीय अध्ययन विभाग के भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 03/02/2020 को किया गया और प्रस्तावित समरेखण को भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा कुछ सुझाव दिये गये जिसपर सडक निर्माण के दौरान अमल किया जायेगा।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया प्रकरण की महत्ता एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए विषायंकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत किये जाने ,पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

8/8/20

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी